कार्यालय : अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ

पत्रांक : डी/177/अ.न.आ/प.अ/21।
दिनांक : 02 नवम्बर, 2021

सेवा में,

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
2. सचिव, आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश
3. अपर जिलाधिकारी नगर, लखनऊ
4. प्रभागीय वन अधिकारी (DFO), वन विभाग
5. अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात), सदर, लखनऊ
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), परिवहन विभाग
7. उपायुक्त, जिला अद्योग एवं उद्यमी प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ
8. क्षेत्रीय अधिकारी, एन0एच0ए0आई0, लखनऊ
9. मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
10. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई विभाग, तेलीबाग, लखनऊ
11. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ
12. जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ
13. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम/उ0प्र0 राज्यकीय निर्माण निगम,
14. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई/उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
15. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
16. परियोजना अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।
17. श्री डी0के0 सोनी, साईन्टिस्त 'ई'/सदस्य, City Implementation Committee

विषय : नॉन अटैन्मेंट नगर लखनऊ में वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के माध्यम से वायु गुणता सुधार हेतु की जा रही कार्यवाही के सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

कृपया जैसा कि आप अवगत हैं कि लखनऊ नगर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से की जा रही कार्यवाही के सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देशों एवं वायु गुणता सुधार हेतु 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के उपयोग हेतु Performance Evaluation Criteria की अनिवार्य गतिविधि के क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2021 को City Level Implementation Cell का गठन किया गया था, जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से लखनऊ नगर की वायु गुणता सुधार हेतु की जा रही कार्यवाही के सतत पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं दोषी परियोजनाओं के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों से कार्यवाही विवरण अपेक्षित है। जिनको नगर में Implement कराकर वायु गुणता सुधार की दिशा में प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के क्रम में नगर के हॉट स्पॉट को चिन्हित कर Construction, Road dust, Unpaved road, Industrial sources, Vehicular Conjestion, Garbage burning, Parking spaces से उत्पन्न प्रदूषण स्त्रोतों से जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना है, जिससे नगर में स्थापित/संचालित CAAQMS से प्राप्त वायु गुणता आंकड़ों में सुधार लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 11.11.2021 को 12:00 बजे नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन बी0एन0 रोड, लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय के सभागार में किया गया है। कृपया उक्त बैठक में अपने विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं सहित समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(पंकज सिंह)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

Pankaj 02/11/2021

(पंकज सिंह)
अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2021 को प्रस्तावित बैठक का ऐजेन्डा बिन्दु निम्नवत हैं :–

1. **रोड डस्ट नियंत्रण हेतु कार्य :–**
   - नगरीय क्षेत्र में कतिपय Damaged Roads, Unpaved Roads एवं Pot Holes/Restoration/path marammat की अद्यातन स्थिति तथा रोड्स को ठीक कराने का शेड्यूल।
   - सड़कों के अनपेव्ड भाग पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स / ग्रीनरी डेवलपमेन्ट का कार्य।
   - शहर की मुख्य सड़कों की मैकेनाईज्ड स्वीपिंग।
   - सड़कों की नाइट वाशिंग / सघन छिड़काव तथा शुद्धिकृत सीवेज का उपयोग।

2. **गार्बेज बर्निंग से जनित वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य :–**
   - शतप्रतिशत कूड़े का कलेक्शन, कूड़ा ढोने वाले समस्त वाहनों का अनिवार्य रूप से कवर किया जाना, सफाई के दौरान डस्ट पॉल्यूशन हेतु वेट ब्रूमिंग तकनीक द्वारा कार्य के सम्बन्ध में की गयी कृत कार्यवाही एवं कार्ययोजना।
   - कूड़ा निस्तारण स्थल पर आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित किया जाना तद्हेतु टीमो का गठन।
   - कूड़ा जलाने वाले व्यक्ति / संस्थान के विरूद्ध मा० एन०जी०टी० के अनुरूप आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाना एवं ऐसी घटनाओं का मीडिया के माध्यम से अधिकतम प्रचार–प्रसार।
   - नगरीय क्षेत्र में कूड़ा / कृषि अपशिष्ट जलाये जाने से सम्बन्धित घंटनाओं पर नियंत्रण एवं फायर ब्रिगेड के समन्वय से एक केन्द्रीयकृत मैकेनिज्म विकसित किया जाना।
   - नगरीय क्षेत्र में पार्कों में सूखी घास एवं पत्तियों को जलाने से रोकना।
   - शहर में गार्बेज डम्पिंग एवं गार्बेज निस्तारण का शेड्यूल।

3. **कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमॉलिशन वेस्ट नियंत्रण हेतु कार्य :–**
   - नगरीय क्षेत्र में बिल्डिंग निर्माण इकाईयों द्वारा कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण, माल वाहक वाहनों को कवर्ड कर परिवहन करने
   - नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत खुले में भण्डारित निर्माण सामग्री यथा बालू, मौरंग, सीमेण्ट आदि। अनाधिकृत दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही विशेषकर तालकटोरा मिल रोड, ऐशबाग।
   - निर्माणाधीन भवनों / परियोजना / गहरी खुदाई को ग्रीन नेट से कवर किये जाने एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिन्कलिंग की व्यवस्था।
   - निर्माण एवं विध्वन्स अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 का पूर्णतया अनुपालन, वायु गुणता मॉनीटरिंग स्टेशन के इम्पैक्ट जोन में स्थानीय प्रदूषण स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण तथा ऐपीसोडिक वायु प्रदूषण का पूर्व आंकलन कर कार्यवाही।

4. **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु एवं कार्य :–**
   - कूड़ा यत्र–तत्र न फेंकने एवं न जलाने हेतु जन जागरूकता।
   - शहर के प्रमुख चौराहों पर फव्वारों को अनावरत रूप से संचालन।
   - ट्रैफिक व्यवस्था, Traffic Conjestion, अवैध पार्किंग के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, प्रमुख चौराहों पर वाहनों का हाल्टिंग समय को कम करना।
   - नगर में स्थित वायु गुणता अनुश्रवण केन्द्र एवं अन्य चिन्हित हॉट स्पॉट्स के एक किलोमीटर की परिधि में खाली स्थानों को चिन्हित कर मियावॉकी तकनीक आधारित फॉरेस्टेशन।